राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....697/2015..............................जिला...........अजमेर..

उनवान – मैसर्स बालाजी माईनिंग वर्क्स, ब्यावर बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त ब्यावर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य**	
20.10.2015	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी. माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरना उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 15,33,556/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । वैट 87 की प्रविष्टियों का विभागीय वेबसाइट के MIS से सत्यापन नहीं हुआ बताकर मांग राशि बिना सुनवाई के सृजित की गई है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 15,33,556/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आगत कर के सत्यापन के अभाव में मांग सृजित की गई है कोई बिल/इन्वायस बोगस का प्रकरण नहीं है। असत्यापित राशि के सम्बन्ध में मांग पत्र जारी करने से पूर्व सत्यापन की कार्यवाही अपेक्षित होती है यदि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिये जाने पर भी सत्यापित नहीं करवा पाता है तो प्रथम दृष्टया तभी मांग वसूली योग्य होती है। लगातार..........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....697 / 2015...............................जिला............अजमेर...

उनवान – मैसर्स बालाजी माईनिंग वर्क्स, ब्यावर बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त ब्यावर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2015	– 2 – अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 15,33,556 / – की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। (मोहनलाल नेहरा) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	